अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय धालभूम, जमशेदपुर
मिस (पी०) न० 71/2018
पत्रांक - 1578/2018 U/S - 144 द०प्र०सं० पु0नि0सह-थाना प्रभारी बिष्टुपुर थाना कार्यालय

दिनांक -16/06/2018

नईम अहमद -बनाम- सरदार दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह।

सेवा में,

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धालभूम,पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर ।

प्रसंग :- भवदिय कार्यालय पत्रांक- 430/ विधि दिनांक 11/06/2018

विषय:- मिस (पी0) न0 71/2018, धारा- 144 द0प्र0स0 (नईम अहमद बनाम सरदार दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह) में निर्माण कार्य रोकते हुए जाँच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्रीमान के माध्यम से नईम खान का आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें मुख्य रुप से उल्लेख है की जुगसलाई मौजा , थाना- बिष्टुपुर , खाता सं0- 11, पुराना प्लौट सं0- 1809, नया प्लौट सं0-152 में इनका 20/100 फिट इनकी जमीन है जिसमे 20/15 फिट का कमरा इनके व्दारा बनाया गया है यह जमीन इनके व्दारा 18/09/2008 को भगवान सिंह से एग्रीमेंट के आधार पर प्राप्त किया गया है । इस भूमी पर सरदार दर्शन सिंह उर्फ हरजीत सिंह व्दारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

मैने स्थल पर जा कर आदेशा अनुसार कार्य बंद करबा दिया तथा जाँच किया दोनों पक्ष के सदस्यों से कागजात माँग कर अवलोकन किया तथा आसपास के लोगों से पुछताछ किया तो पाया गया कि जुगसलाई मौजा बिष्टुपुर थाना अनतर्गत खाता सं0 11 पुराना प्लौट सं0 1809,में करीब 32 एकड़ गैरमजरुआ मालिक जमीन था जो टाटा लिज के अनतर्गत था जिसके अधिकांस हिस्से में केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त का कार्यालय स्थित है । इसी के कुछ भाग पर पूर्व से अवतार सिंह, त्रिलोक सिंह,दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह का अवैध दखल कब्जा था इस कारण से उक्त जमीन का कुछ भाग वर्षो से इनलोगों के कब्जे में ही चला आ रहा है । टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि0 व्दारा दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह पे0 करनैल सिंह सा0 गुरुव्दारा बस्ती के विरुध टाईटल सुट न0. 12/1982 किया गया था जिसमें दिनांक -16/12/1998 को मुन्सीफ न्यायालय जमशेदपुर से टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि0 कि हार हो गई थी ।, टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि0 व्दारा भगवान सिंह पे0 भजुराम सिंह सा0 गुरुव्दारा वस्ती के विरुध टाईटल सुट न0 13/155 - 1982-90 किया गया था जिसमें दिनांक -16/07/1991 को न्यायालय श्री ए0 बी0 श्रीवास्तव त्रितीय एडिसनल मुन्सिफ जमशेदपुर के न्यायालय से, टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लि0 कि जीत हो गई थी तथा भगवान सिंह के व्दारा अपनी हार के विरुध समय सिमा के अन्दर उच्च न्यायालय में पिटीसन दाखिल नही किया गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान सिंह का उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई दावा नही बनता है तथा उक्त जमीन पर भगवान सिंह के या उनके पुत्र का कब्जा नही है । उक्त विवादित जमीन से सटे उतर में नईम अहमद पे0 स्व0 नवी अहमद सा0 रामदास भठा का पक्का का मकान बना हुआ है जिस जगह पर पक्का का मकान बना है वह जगह दर्शन सिंह से नईम अहमद व्दारा 22/04/2013 को एग्रिमेंट के आधार पर लेकर बनाया गया है । विवादित जमीन का नया प्लौट न0 152 अंकित है तथा इस पर उतर एवं पुरब की ओर से करीब 6 फुट उचाँई सिमेंटेड सलैब डाल कर दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह के व्दारा चाहर दिवारी बनाई गई हैं चाहर दिवारी के अन्दर पुरब - पशि्चम लम्वाई करीब 80 फुट तथा उत्तर - दक्षिण चौडाई 50 फुट है । चाहर दिवारी के अन्दर कई पिलर खडा किया गया

16.6.18

16/8/18 16/8/18 16/8/18 16/8/18

है जो देखने से नया प्रतित होता है तथा एक कमरा बना है जो कि ईटा एवं एसवेस्टस का है जो की टूटे अवस्था में है इसका ईट एवं दरवाजा देखने से प्रतीत होता है की करीब 20-25 वर्ष पहले यह बनाया गया था । आसपास के लोगो सरदार हरदायाल सिंह , नवतेज सिंह, प्रकाश सिंह , कृपाल सिंह आदि से पुछताछ किया तो ये सभी बताये की यह कमरा कर्नेल सिंह के व्दारा बनाया गया था जिसकी मरम्मत दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह के व्दारा किया गया था , जबकी नईम अहमद वर्ष 2013 में जमीन एग्रिमेंट करवाने के बाद अपना मकान बनाये है जिसमें मोडर्न टायर हैं इसके अलावे विवादित जमीन पर नईम अहमद का पुर्व से आज तक कभी भी किसी प्रकार का कब्जा नही रहा है । उक्त जमीन पर वर्षो पूर्व सरदार करनैल सिंह का कब्जा था उनके बाद दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह का कब्जा हुआ जो की आज तक बना हुआ है । नईम अहमद के मकान के पिछे मे दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह का 10 फुट चौडाई में करीब 50 वर्ष पूर्व से कब्जा है जो इस विवादित जमीन से मिला हुआ है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त विवादित जमीन पर पूर्व से अब तक दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह का कब्जा है ।

विवादित जमीन कि चौहदी निम्नवत है ।

उतर में नईम अहमद का मौर्डन टायर दुकान एवं दर्शन सिंह उर्फ हरजित सिंह का निज जमीन ।
दक्षिण में खाली जमीन नया प्लौट संख्या 152 का अंश इसके बाद कृपाल सिंह का ढाबा ।
पुरब में पक्की सडक ।
पश्चिम में मैला टंकी का चाहरदिवारी ।

अनुलगनक :-यथोपरि

समर्पित
16-6-18
पु0नि0सह-थाना प्रभारी
बिष्टुपुर थाना ।

पढ़ा एवं संशोधन किया
16/8/18

तुलना किया
तुलना 16/8/18

तुलना किया
तुलना लिपिक 16/8/18

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
16/8/18
प्रधान लिपिक
अनुमण्डलीय कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर